FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0027 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 01/08/2025 19:08 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	308(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/08/2025 **Time (समय):** 19:08 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 010 **Date and Time (दिनांक और समय):** 01/08/2025 19:08 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 60 Km (s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): सिचांई विभाग डिविजन ज्योतिसर,कुरुक्षेत्र

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** मनजीत सिंह

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** सूरजमल

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1990 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**गांव इस्माईलपुर, नरवानाJIND, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**गांव इस्माईलपुर, नरवानाJIND, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-8685011111

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सोरभ राणा जे.ई.			1. सिचाई विभाग,डिविजन ज्योतिसर कुरुक्षेत्र KURUKSHETRA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

श्रीमान जी, नकल लेख निम्नप्रकार से है

सेवा मे,

ईन्स्पैक्टर साहब

विजीलैंस कैथल।

विषय- अंतिम बिल पास करने व सिक्योरिटी व परफोरमैन्स सिक्योरिटी की ऐवज मे रिस्वत मांगने के सम्बन्ध मे सौरभ राणा जे.ई. के विरुद्ध कानुनी कार्यवाही करवाने बारे।

श्रीमान जी,

निवेदन है, कि मनजीत सिंह पुत्र श्री सूरजमल वासी गांव इस्माईलपूर तहसील नरवाना जिला जिन्द का स्थाई निवासी हूं तथा मै सिचाई विभाग मै बतौर सरकारी ठेकेदार काम करता हूं। मेरी फर्म मनजीत सिंह मोर कोन्ट्रक्टर के नाम से है। जिसका मै स्वंय प्रोपराईटर हूं। सिचाई विभाग डिवीजन ज्योतिसर जिला कुरुक्षेत्र मे सरस्वती नाम से फीडर-आर.डी.-550 है। वंहा पर मेरी फर्म को ई-टैंडर के माध्यम से विभाग द्वारा कार्य आदेश जारी किये गये थे जिसमे मेरी फर्म द्वारा मार्च 2025 तक ब्रिज बनाया गया है। कार्य पूरा होने उपरांत मैने मैने फाईनल बिल की मांग की, जिसमे सोरभ राणा जे.ई. ने 2 महिने तक कोई हां या न नही दिया। जिसके सम्बन्ध मे मै सोरभ राणा जे.ई. से माह जून 2025 मे पर्सनली मिला, तब इन्होंने मेरे से कमीशन के रुप मे15 लाख रुपये की डिमांड की, मैने कहा कि आपका कमीशन बहुत ज्यादा है, और मुझे इस काम में एक पैसा भी नहीं बचा है। और मैं बहुत परेशान हूं। प्लीज आप इससे बिना कमीशन के बिल पास कर दो। जिस पर ईन्होने 13 लाख रुपये की डिमांड की और कहा कि यह फाईनल है और य़दि आपने 13 लाख रुपये कमीशन के रुप मे नही दिये तो न तो आपके फाईनल बिल नही बनेगा और न ही परफोरमैंन्स सिक्योरिटी/सिक्योरिटी रिलिज नही होगी। इसके उपरांत मे दिनांक 09.06.2025 को सौरभ राणा जे.ई. से कल्पना चावला विज्ञान ज्योतिसर के सामने सडक पर मिला और जे.ई. ने मेरे से पैसे की डिमांड की, मैने उससे मजबूरी वश 3 लाख रुपये दे दिये। उसके बाद सौरभ राणा जे.ई. ने फाईनल बिल सबमिट नही किया और फिर इन्होने मुझे दोबारा बुलाया और 30.06.2025 को मै सौरभ राणा जे.ई. के सिंचाई विभाग डिविजन ज्योतिसर के कार्यालय मे मिला और मेरे से बाकी पैसे की भी डिमांड की और मेरे को कहा कि जब तक पैसे नही दोगे तो बाकि की पैमेन्ट नही होगी, लेकिन मैने कहा कि मेरे पास अब पैसे नही हैं। जिस पर जे.ई. ने मेरे से मेरी परफोरमैंन्स सिक्योरिटी व सिक्योरिटी रिलिज न होने देने बारे का दबाव बनाया और मेरे से एडवान्स चैक की मांग की, जो मेरे पास नकद पैसे नही थे, ओर बिना पैसों लिये सोरभ जे.ई.मेरी पैमेन्ट नही कर रहा था जो मैने 3 लाख 90 हजा रुपये के अलग-अलग से तो चैक दे दिये। जिस पर फाईनल बिल की पैमेन्ट की कार्यवाही शुरु कर दी। मेरे INDIAN बैंक खाता मे दिनांक 21.07.205 को उपरोक्त काम करने के विभाग से 26,86,217/- रुपये आ गये उसके बाद दिनांक 22.07.2025 को मेरे पास सोरभ राणा जे.ई. के मोबाईल फोन नम्बर से 70604-74322 से मेरे मोबाईल फोन नम्बर 8685011111 पर व्हटसअप कोल आना शुरु हो गई और मेरे व्हटसअप मोबाईल फोन नम्बर पर सोरभ राणा जे.ई. ने विभाग से पैमेन्ट आने बारे Check EPS Status का स्क्रीन शोट भेजा। उसके बाद मेरी दिनांक 23.07.2025 को व्हटसअप के माध्यम से सोरभ राणा जे.ई. से बातचीत हुई ओर कहा कि आपके बैंक खाता मे पैमेन्ट आ चुकी है। और आपने मेरे से कब मिलना है। जिस पर दिनांक 31.07.2025 को मेरे मोबाईल फोन नम्बर पर सोरभ राणा जे.ई. की मिस काल आई और मैने सोरभ राणा जे.ई. के व्हटसअप मोबाईल पर बातचीत की उसने कहा कि आप पैसे ले आओ और आपके चैक ले आओ, जो आज सोरभ राणा जे.ई. ने मेरे को 3,90000/- रुपये लेक बुलाया है। यदि मै उसको रिस्वत के पैसे नही दुंगा तो वह मेरी परफोरमैन्ट सिक्योरिटी/सिक्योरिटी रिलिज नही होने देगा। और मेरे द्वारा दिये हुए चैकों का गलत प्रयोग कर सकता हैं। मेरे व सोरभ राणा के बिच बातचीत की रिकार्डिंग मेरे मोबाईल फोन मे है, जो मै बाद मे पेश कर दूंगा। मै सोरभ राणा जे.ई. को रिस्वत के पैसे नही देना चाहता, तथा सोरभ राणा जे.ई. को 3,90000 रुपये रिस्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। सौरभ राणा जे.ई. के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाये ।

-sd-अंग्रेजी
भवदीय, मनजीत सिंह पुत्र सूरजमल वासी
गांव इस्माईलपुर, तहसील नरवाना
जिला जीन्द। फोन नम्बर
8685011111.

कार्यवाही पुलिस- आज दिनांक 01.08.2025 को मन निरीक्षक मय स्टाफ के एक प्रारम्भिक जांच क्रमांक 1/25 के सम्बन्ध में हाजिर नजदीक बस स्टैण्ड कुरुक्षेत्र हूं कि मेरे मोबाईल फोन नम्बर 94163-39313 पर मोबाईल फोन नम्बर 86850-11111 से फोन आया, जो सामने वाले ने अपना नाम मनजीत सिंह पुत्र श्री सुरजमल वासी गांव इस्माईलपुर तहसील नरवाना जिला जीन्द बतलाया तथा बताया कि उसने यह मोबाईल नम्बर हैल्प लाईन से लिया है, मैं करप्शन की रेड करवाना चाहता हूं। जो मैने पूछा कि आप कहां है तो मनजीत ने मन निरीक्षक को बतलाया कि वह कुरूक्षेत्र में है, जिस पर मन निरीक्षक ने मनजीत को बस स्टैण्ड कुरूक्षेत्र के सामने बुलाया, जो थोडी देर बाद मनजीत उपरोक्त बस

अड्डा कुरुक्षेत्र के सामने आकर मिला जो सुरक्षित जगह नजदीकी होटल के एक कमरे में ले गये जहां पर मनजीत उपरोक्त ने एक हस्त लिखित दरखास्त मन निरीक्षक को पेश की, जिस पर मन निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से रेड करवाने बारे पूछताछ की और सन्तुष्ट होने पर मेरी हिदायत अनुसार शिकायतकर्ता ने 500/500 रूपए के 780 अदद् करेन्सी नोट मुबलिक 3,90,000/- रूपए मन निरीक्षक को पेश किए। जिनको फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लेकर अलग से फर्द सूचि करेन्सी नोट व फर्द इन्वेंटरी तैयार की गई। फर्द सूचि करेन्सी नोट पर मन निरीक्षक व शिकायतकर्ता मनजीत सिंह उक्त ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए। दरखास्त के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, रा.सत. एवं भ्र.नि. ब्यूरो अम्बाला के संज्ञान में लाकर राजपत्रित अधिकारी के सम्बन्ध में उचित आदेश व्हटसअप के माध्यम से प्राप्त होने उपरांत मेरे द्वारा श्री दलबीर सिंह सहायक श्रम आयुक्त, कुरुक्षेत्र से उनके मोबाईल नम्बर 94666-36409 पर सम्पर्क किया गया और हालात बारे अवगत करवाकर पुलिस अधीक्षक रा.सत. एवं भ्र.नि.ब्यूरो, अम्बाला के आदेश बारे बतलाया और एक छाया गवाह अपने साथ लेकर हाजिर बस स्टैण्ड कुरूक्षेत्र के सामने आने बारे सूचित किया गया। दरखास्त के मजबून से सौरभ राणा जे०ई० सिंचाई विभाग, मण्डल ज्योतिसर कुरुक्षेत्र के खिलाफ सूरत जुर्म जेर धारा 7 PC Act 1988 308(2) BNS 2023 का सरजद होना पाया गया। मन निरीक्षक मय उ.नि. निर्भय सिंह न. 21/AMB, स.उ.नि. सुनील कुमार न. 2/87., स.उ.नि. सेवती राम न. 308/KTL व महिला मुख्य सिपाही सुदेश न. 258/KTL बा सवारी गाडी सरकारी न. HR03 GV 1432 जिसका चालक मु.सि. रोहित कुमार न. 107/KKR व गाडी प्राईवेट तथा तफतीशी बेग, लैपटाप व प्रिन्टर सहित रेडिंग पार्टी तैयार की गई। तहरीर बराये कायमी अभियोग बदस्त व मुसि. अजय कुमार न. 3/30 के थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला भेजी जा रही है। बाद कायमी अभियोग नम्बर अभियोग से सूचित किया जावे व अभियोग की स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट कुरुक्षेत्र व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जाए व असल लेख मय पुलिस फाईल मौका पर भिजवाई जाए।

-sd- अंग्रेजी
निरीक्षक मोहिन्द्र सिंह एन. 322/एच
राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
उपकेन्द्र कैथल एट कुरुक्षेत्र
दिनांक 01.08.2025
ऐट 04.10 PM.

अज थाना- टाईपशुदा तहरीर उपरोक्त बाजूर्म उपरोक्त बर दरखास्त मनजीत सिंह पुत्र श्री सूरजमल वासी गांव इस्माईलपूर तहसील नरवाना जिला जीन्द बर खिलाप सौरभ राणा जे.ई. के सिंचाई विभाग डिविजन ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र बादस्त मु.सि. अजय कुमार न. 3/30 रा.स. एंव भ्र.नि.ब्यूरो उपकेन्द्र कैथल के थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 27 दिनांक 01.08.2025 धाराधीन 7 PC Act 1988, 308(2) बी.एन.एस.-2023 थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रैट साहब कुरुक्षेत्र की सेवा मे बजरीया ई-मेल व सम्बन्धित उच्चाधिकारीगण की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जाएंगी। नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर आगामी अनुसंधान हेतू आने वाले अजय कुमार न. 3/30 के द्वारा अनुसंधानकर्ता के पास भेजा जा रहा है। यह अभियोग निरीक्षक सन्दीप कुमार रा.चौ. एवं भ्र.नि.ब्यूरो अम्बाला की हाजिरी मे दर्ज किया जा रहा है। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Mahender Singh **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 322H **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Om Prakash

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): HPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.